न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ
पीठासीन अधिकारी सुश्री अंशुल आमेरिया (आर.ए.एस)

.प्रकरण संख्या 68 / 2019

अनवान

1. मांगु पिता बेणा अहीर निवासी तख्तपुरा पोस्ट ओज्याडा तह हमीरगढ जिला भीलवाडा।
2. छितर पिता बेणा अहीर निवासी तख्तपुरा पोस्ट ओज्याडा तह हमीरगढ जिला भीलवाडा।

—प्रार्थीगण

बनाम

1. महेश पुत्र गुलाबराय खेतानी निवासी शेरे पंजाब होटल तख्तपुरा पोस्ट ओज्याडा तह हमीरगढ।
2. मांगीलाल पिता देवा अहीर निवासी तख्तपुरा तह हमीरगढ।
3. नानालाल पिता देवा अहीर निवासी तख्तपुरा तह हमीरगढ।
4. शंकर पिता कालु अहीर निवासी तख्तपुरा तह हमीरगढ।
5. टम्मु पत्नी कालु अहीर निवासी तख्तपुरा तह हमीरगढ।
6. शंकर लाल पिता मांगीलाल पारीक निवासी तख्तपुरा तह हमीरगढ।
7. मंगु पिता दल्ला अहीर निवासी तख्तपुरा तह हमीरगढ।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज)

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956
निर्णय दिनांक 17—02—2022

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भूॅ—राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 24.10.2019 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि **ग्राम तख्तपुरा पटवार हल्का तख्तपुरा भू.अ.नि. हमीरगढ तह हमीरगढ जिला भीलवाडा में उसके खाते की खाता संख्या 361 की कृषि भूमि की आराजी नम्बर 921 रकबा 0.3035 है0 है।** वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पडौसी है प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 24.10.2019 को पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित । विपक्षी संख्या 1 से 8 बावजूद विधिवत प्रकियानुसार सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त उपस्थित नही है। अतः न्यायहित में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी / प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया।

प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का ध्यापपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वंय के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार / स्वत्व निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है। प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया।

प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का ध्यापपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वंय के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार / स्वत्व निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

—::आदेश::—

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हमीरगढ को आदेश दिये जाते है कि **ग्राम तख्तपुरा पटवार हल्का तख्तपुरा भू.अ.नि. हमीरगढ तह [illegible] उसके खाते की खाता संख्या 361 की कृषि भूमि की आराजी नम्बर 921 रकबा 0.3035 है0 है।** [illegible]गढी राजस्थान लैण्ड रेकार्ड नियम 1956 के प्रावधानो में निर्धारित प्रकिया के [illegible] निर्धारित शुल्क 400 / —रू0 पक्षकार प्रार्थी राजकोष में जमा कराये, स[illegible] रू0 की नियमानुसार अदायगी प्रार्थी पक्षकार निर्धारित कमिश्नर को भुगतान करे।

आदेश आज दिनांक 17 / 02 / 2022 को खुले न्यायालय मे [illegible]ाया जाकर लिखा गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर रहे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2022.10.11 12:22:00 IST
Reason: SelfAttested

(अंशुल आमेरिया)
उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ